FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

हवासिंह बनाम जगदीशप्रसाद वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	न. या ता. अहकाम जो जारी हुआ
	12-10-22 आज यह प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा व प्रा.पत्र को साथ–साथ पढ़ा गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी व प्रा. पत्र के संलग्न दस्तावेजात एवं शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का पृथम दृष्टया मामला प्रतित होता है, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। तथा नापूर्ति क्षति होने का अन्देशा भी प्रार्थी को ही है। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22.11.2022 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वे आ.ख.नं. हाल 1812,1813,1787,1788,1789,1822,1823,1824 व 1825 वाके ग्राम कुतीना तह0 नीमराना की वो आराजी मुतनाजा को दिगर जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे। ना ही प्रार्थीगण को उपयोग उपभोग करने मे स्वयं व अपने परिवार के सदस्यों व दिगर व्यक्तियों के माध्यम से दिक्कत बाजी पैदा करे। ना ही कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा करे,कच्चा–पक्का निर्माण करे, गलत इन्द्राजात के आधार पर बेचान करे। मौका व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे। तथा क्यौना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई करदी जावे जो भी इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। वकील प्रार्थी इस अमर का टी0आई0 तलबाना रजिस्ट्रड ए0डी0 पेश करे। आदेश 39 नियम 03 जा.दी. की पालना हो। अप्रार्थीगण जरिए रजिस्ट्र्ड ए0डी0 तलब हो बाद तलबी पत्रावली दिनांक 22.11.2022 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
1-8-24	आज पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन व श्री पीठासीन अधिकारी अवकाश/दौरे मिटिंग मे पधारे है। पत्रावली उनके समक्ष दि० 17-9-24 को पेश हो।	
17-9-24	आज यह पत्रावली पेश की गई फरीकेन व वकलाय उपस्थित है। पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। उनके आने पर पत्रावली दिनांक 15-11-24 को पेश की जावे	
15/11/24	आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली में वाद-पत्र को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। अतः प्रार्थना-पत्र 212 को भी अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर जमा [illegible] हो। बाद पूर्ति कार्यवाही दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)